राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक: एफ 40(35)ग्रावि / नरेगा / व्य.ला.का. / 2011 जयपुर, दिनांक: 2 MAR 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रानीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त जिले।

विषय : अपना खेत अपना काम योजना की प्रगति एम.आई.एस. पर "Irrigation facilities to SC/ST/IAY/LR" श्रेणी के अन्तर्गत फीड करने बाबत।

प्रसंग : विभागीय समसख्यंक पत्र दि. 04 / 27.05.2011 एवं पत्रांक एफ 1(1) ग्रावि / नरेगा / स्कीम / 2012 दिनांक 14.5.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिलों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजी जा रही अपना खेत अपना काम योजना की प्रगति सूचना तथा एन.आई.एस. पर Works under different category/status के तहत Irrigation facilities to SC/ST/IAY/LR अन्तर्गत प्राप्त सूचना में अन्तर होने के कारण इस योजना की मोनीटरिंग सही नहीं हो पा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दि. 04.05.2012 को अधिसूचना जारी कर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची में संशोधन कर योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में विस्तार किया गया है। संशोधित अनुसूची–1 अनुसार व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यो अन्तर्गत पात्र परिवारों की भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन, भूमि विकास, एन.ए.डी.ई.पी. कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, लिक्विड बायो मैन्योर, कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसे पशुधन सम्बन्धी कार्य सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स व व्यक्तिगत घरेलू शौचालय आदि कार्य अनुमत है।

अपना खेत अपना काम योजना की मार्गदर्शिका में उल्लेखित कार्यों के साथ साथ ऊपर वर्णित नये जोड़े गये कार्यों को भी अपना खेत अपना काम योजना की मार्गदर्शिका अनुसार सम्पादित कराया जावे। इन कार्यों की प्रगति की एम.आई.एस. फीडिंग करते समय यह ध्यान रखा जावे कि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) को छोडकर शेष सभी कार्यो कों "Irrigation facilities to SC/ST/IAY/LR" श्रेणी अन्तर्गत ही एमआईएस पर फीड किया जावे ताकि राज्य स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा एम.आई.एस. पर प्राप्त प्रगति से की जा सके। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) कार्यो की एमआईएस फीडिंग "Rural Sanitation" श्रेणी अन्तर्गत की जावे। यहाँ यह विशेष ध्यान रखा जावे कि निजी खेतों पर जल संरक्षण, वृक्षारोपण, लघु सिंचाई, भूमि विकास एवं व्यक्तिगत शौचालय (आईएचएचएल) आदि कार्य करवाने पर उनकी एम.आई.एस. फीडिग ऊपर वर्णित अनुसार संबंधित श्रेणी के कॉलम में ही की जावे।

साथ ही कृपया वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्य योजना में अपना खेत अपना काम योजनान्तर्गत सम्मिलित किये गये कार्यों की संख्या भी भिजवावे तथा लाभान्वितों के सर्वे उपरान्त वर्ष 2012–13 व वर्ष 2013–14 में सम्मिलित कार्यो के पश्चात शेष बचे कार्यो को वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जावे।

भवदीय

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस